

परियोजना का नाम :-	जनपद नैनीताल में राज्य योजना के अन्तर्गत बजून से फगूनियाखेत तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण पत्र

जनपद नैनीताल 2.70 हे० वन पंचायत भूमि के हस्तांतरण हेतु ^{9:10 नैनीताल} ~~मे~~ द्वारा दिनांक 7-9-2012 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बांज वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई।

क० सं०	ब्लाक	प्रजाति	व्यास वर्ग										योग				
			0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक					
1		बांज	-	-	-	-	-	-	18	21	8	2	-	-	-	-	51
	योग		-	-	18	21	8	2	2	2	-	-	-	-	-	51	

अधोहस्ताक्षरी के पत्रोंक 50पी.ए./दिनोंक 8-6-2012 के कम में अद्योहस्ताक्षरी के प्रतिनिधि के रूप में प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल द्वारा दिनोंक 7-9-2012 को प्रश्नगत क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया। प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल द्वारा अपने पत्रोंक 695/13-2(4),दिनोंक 12-9-2012 द्वारा निरीक्षण टिप्पणी जारी की गयी है। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त टिप्पणी की सहमति व्यक्त की गयी है। प्रश्नगत मार्ग के निर्माण हेतु न्यूनतम अपरिहार्य वृक्षों का ही पातन होना चाहिये। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त टिप्पणी संलग्न है।

दक्षिणी कुमायूँ क्षेत्र विकास बोर्ड
नैनीताल


अधीनस्थ अधिकारी
नैनीताल क्षेत्र
नैनीताल (नैनीताल)


अधीनस्थ अधिकारी (न०)
नैनीताल, नैनीताल


अधीनस्थ अधिकारी
नैनीताल क्षेत्र

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14- स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है **D.F.P मैंगीचाल** द्वारा दिनांक 7-9-2012
 क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण **का निरीक्षण** द्वारा **निरीक्षण** नोट **संलग्न** है ? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

संलग्न

15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

संलग्न की जाती है।

16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

तिथि.....
 स्थान..... **मैंगीचाल**

हस्ताक्षर: **वन संरक्षक,**
मैंगीचाल, जिला अजमेर
सर्कारी मोहर

वन क्षेत्र अधिकारी
मैंगी वन क्षेत्र
मैंगी (मैंगीचाल)

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष,
वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

- 17- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने
या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की
विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।
(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक
अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल
टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय
और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

हस्ताक्षर:

तिथि :

नाम और पदनाम

स्थान :

सरकारी मोहर

भाग-V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी

जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

- 17- राज्य सरकार की सिफारिश:
 (उपर्युक्त भाग-11 या भाग-111 या
 भाग-IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी
 द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर
 विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

हस्ताक्षर:

तिथि :

नाम और पदनाम

स्थान :

सरकारी मोहर


संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)


परियोजना का नाम :-

जनपद नैनीताल में राज्य योजना के अन्तर्गत बजून से फगुनियाखेत तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है दिनांक 29-1-2011 को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण


किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री पूरन सिंह वन दरोगा एवं उत्तर-वन्दु श्री वन क्षेत्राधिकारी, राजस्व विभाग की ओर से श्री मनोज कुमार उत्तर-वन्दु श्री लेखपाल एवं श्री नफीस अहमद, अवर अभियन्ता व श्री डी0एस0 बोर, सहायक अभियन्ता द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित वन भूमि 2.70 हे0, सिविल भूमि शून्य हे0, वन पंचायत भूमि शून्य हे0 एवं नाप भूमि शून्य हे0 प्रभावित होती है। प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित भूमि की मांग न्यूनतम है। आवेदित वन भूमि में प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची प्रस्ताव में संलग्न है।


A. E.
अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0, लो0नि0वि0
नैनीताल


प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग
नैनीताल


वन क्षेत्राधिकारी
नैना वन क्षेत्र
रैन्ची (नैनीताल)


S. K. Bora


प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल